

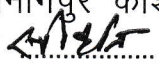
न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 52 / 2021-22

आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
14/8/22	आवेदक मुनु उराँव, पिता स्व० शनिचर उराँव, जाति उराँव ग्राम दमकारा पो० पोर्जेगा, थाना पालकोट, जिला— गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr><tr><td>दमकारा</td><td>46</td><td>93</td><td>864</td><td>0.56 एकड़ में से 0.3½ एकड़</td><td></td></tr></table> कुल रकबा 0.3½ एकड़ प्लॉट सं० 864 का चौहदी :- उत्तर में — अगस्तीन सोरेंग दक्षिण में — बहुरन उराँव, पुरब में — बुधराम उराँव, पश्चिम में — पक्का सड़क जमीन विक्रेता का विवरणी मुनु उराँव, पिता स्व० शनिचर उराँव, जाति उराँव, ग्राम दमकारा पो० पोर्जेगा, थाना पालकोट, जिला — गुमला जमीन क्रेता का विवरणी एमानुएल इंदवार, पिता स्व० लाटु इंदवार जाति लोहरा ग्राम दमकारा केन्दटोली, थाना — पालकोट, जिला— गुमला । आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता एमानुएल इंदवार पिता स्व० लाटु इंदवार जाति लोहरा ग्राम दमकारा केन्दटोली थाना — पालकोट, जिला— गुमला को राशि रुपये 52,500 (बावन हजार पाँच सौ) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपय की आवश्यकता है। रुपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं होने के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	दमकारा	46	93	864	0.56 एकड़ में से 0.3½ एकड़		
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
दमकारा	46	93	864	0.56 एकड़ में से 0.3½ एकड़										



की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, पालकोट के कार्यालय के पत्रांक 178(ii)/रा0 दिनांक 21/03/2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुषंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उराँव एवं लोहरा के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक मुनु उराँव, पिता स्व0 शनिचर उराँव, जाति उराँव, ग्राम दमकारा पो0 पोर्जेगा, थाना – पालकोट, जिला– गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा  प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप –समाहर्ता
बसिया (गुमला)




भूमि सुधार उप –समाहर्ता
बसिया (गुमला)